Central Excise Duty Concessions to Pearl Industry

8623. SHRI B. K. GADHAVI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the diamond cutting industry is totally exempted from the Cenaral Excise Duty, if so what is the rationale behind it;

(b) whether it is a fact that pearl industry has also asked for concessions a par with the diamond industry, if so, what is the response of Government to it; and

(c) whether Government are aware that pearl industry is mostly cottage industry in our country and if so, the reasons why no incentives are given to it at par with the diamond Industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAISINGH SISODIA): (a) Wes, Sir. The diamond cutting industry is exempted from the Central Excise Duty since it was considered as a labour-intensive and export-oriented industry.

(b) The Government are not aware of any request from pearl industry seeking concessions at par with diamond industry.

(c) In view of (b) above, the question does not arise. However, it may be said that goods falling under Tariff Item 68, manufactured without the aid of power already stand exempted from duty.

पाली, राजस्थान में बैंकों द्वारा छोटे मूल्य के करेंसी नोटों का स्वीकार न किया जाना

8624. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि व्यापारियों को ड्राफ्ट जारी करते समय उनसे केवल 100 रुपये तथा 50 रुपये मूल्य करेंसी नोट स्वीकार करने चाहियें और छोटे मूल्य के करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जाने चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि पाली राजस्थान में सभी बैंकों की शाखाएं स्वेच्छा से काम कर रही हैं और व्यापारियों से छोटे मूल्य के करेंसी नोट स्वीकार नहीं कर रही है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पाली (राजस्थान) में बैंकों द्वारा छोटे मूल्य के नोटों को अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में हमें कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । फिर भी, वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल (चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री), व्यापार संघों (ट्रेड एसोसिएशन्स), सार्वजनिक निकायों (पब्लिक बाडीज) आदि से, अन्य स्थानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोटे मूल्य के करेंसी नोटों को मुक्त रूप से स्वीकार करने के वास्ते समुचित सामान्य हिदायतें जारी की हैं ।

प्रत्येक राज्य से निर्यात किये गये अभ्रक की मात्रा

8625. **श्री राम अवध :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से कितनी मात्रा में अभ्रक